न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, गढ़ी (राज0)

पीठासीन अधिकारीः सुश्री अंजु शर्मा आर.ए.एस.

प्रकरण संख्याः 14/2024

उनवान

श्रीमती बसन्ती पत्नी मोतीलाल, जाति लबाना, निवासी भीमसौर तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—ः प्रार्थीया

बनाम

1. कन्हैयालाल पिता गौतमलाल, जाति भील,, निवासी खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
2. श्रीमती संगीता पत्नी कन्हैयालाल, जाति भील, निवासी खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।
3. तहसीलदार गढ़ी, जिला बांसवाड़ा।

—ः अप्रार्थीगण

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम

निर्णय

दिनांक 25.7.2024

संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीया के खाते व कब्जे की कृषि भूमि जिसका वर्तमान खाता संख्या 301 (नया) (पुराना) 265 का सर्वे नंम्बर 2818 रकबा 0.27 हे0, वाके ग्राम खेडा, पटवार हल्का खेडा, भू—अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खेडा, तहसील गढ़ी, जिला बांसवाड़ा में स्थित है। जिस पर वर्तमान में प्रार्थीया काबिज होकर शांतिपूर्वक कृषि करती आ रहा है एवं वर्तमान में प्रार्थीया की फसल मौके पर मौजुद है। अप्रार्थीगण को राजस्व अभियान 2008 के तहत गांव खेडा के मूल सरकारी सर्वे नम्बर 3290 में से रकबा 0.24 हे0 भूमि आवंटन की है जिसका वर्तमान नया नम्बर 5463/3290 बना है और यह सर्वे नम्बर प्रार्थीया के सर्वे नम्बर के पास में स्थित है एवं राजस्व कर्मचारियों द्वारा अप्रार्थीगण के उक्त सर्वे नम्बर की भूमि की पैमुदगी अप्रार्थीगण जिस हिसाब से मौके पर बैठे है उस हिसाब से नही की गई है एवं नक्शे में पैमुदगी करते वक्त राजस्व कर्मचारी मौके पर नही आये है और टेबल पर ही नक्शे में पैमुदगी की दी गई है, जिससे प्रार्थीया के कृषि भूमि जहां प्रार्थीया बरसो से काबिज है काश्त करती आ रही है उसके कुछ भाग पर उक्त आंवटित भूमि अप्रार्थीगण के सर्वे नम्बर की भूमि को सेहवन से कुछ भाग पर पैमुदगी कर दी गई है, जिससे प्रार्थीया की कृषि भूमि का कुछ भाग अप्रार्थीगण की भूमि में चला गया है, जिससे मौके पर विवाद होने पर राजस्व कर्मचारी, पटवार आदि द्वारा मौके पर जांच पडताल कर सीमाज्ञान किया गया जिस पर राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि, मौके पर अप्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि का कुछ भाग प्रार्थीया की खाते की भूमि के नक्शे में पैमुदगी हो गई है जबकि मौके पर दोनों पक्षों की भूमि मौके पर मौजुद है, परन्तु सेहवन से प्रार्थीया की भूमि का कुछ भाग जो लगभग 5—6 एयर बैठता है वह अप्रार्थीगण की खाते की भूमि के नक्शे में गलत पैमुदगी हो गई है, इसलिये नक्शे में मौके की स्थिति के अनुसार और जिस प्रकार से प्रार्थीया व अप्रार्थीगण काबिज है, उसके अनुसार नक्शे में पैमुदगी के लिये शुद्धिकरण का दावा करना पडेगा, इस कारण प्रार्थीया को अपने मौके की स्थिति के अनुसार और जिस प्रकार मौके पर प्रार्थीया, अप्रार्थीगण काबिज है, उसके अनुसार नक्शे में पैमुदगी करने हेतु यह प्रार्थना पत्र नक्शे में शुद्धिकरण करने हेतु पेश करना आवश्यक हो गया है। अप्रार्थीगण की राजस्व अभियान, 2008 के तहत उक्त बताये आवंटन के सर्वे नम्बर की भूमि का मूल सर्वे नम्बर 3290 बताया गया सर्वे नम्बर था एवं उसमें से उक्त बताये सर्वे नम्बर 3290 में से 0.24 हे0 भूमि आवंटन की है जिसका वर्तमान नया नम्बर 5463/3290 बना है, उसका नक्शे में अप्रार्थीगण का मौके पर बैठक अनुसार नक्शे में पैमुदगी नही कर प्रार्थीया के खाते की कृषि भूमि के नक्शे में अप्रार्थीगण के कुछ भाग को पैमुदगी करने,से मौके पर विवाद हुआ है एवं इस हेतु हल्का पटवारी व राजस्व कर्मचारी द्वारा उक्त विवाद को निपटाने के लिये आप न्यायालय में मौके की स्थिति के अनुसार नक्शे में पैमुदगी करने के

Signature Not Verified
Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:39:58 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

लिये शुद्धिकरण का प्रार्थना पत्र पेश करने की सलाह देने पर आप न्यायालय में यह प्रार्थना पत्र मौके की स्थिति के अनुसार सही पैमुदगी किये जाने हेतु एवं पूर्व में की गई गलत पैमुदगी को निरस्त कर नक्शे में नियमानुसार पैमुदगी किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र आप न्यायालय में बाबत शुद्धिकरण कर नक्शे में प्रविष्टि हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश है। अप्रार्थी सं. 3 तहसीदार भू–धारक होने से इस प्रकरण में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया जाकर प्रार्थना–पत्र पेश हुआ।

प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण के नाम सम्मन जारी किये जाने पर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से श्री शंम्भुलाल खांट, अभिभाषक का वकालतनामा पैश होकर अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से लिखित सहमति प्रस्तुत कर प्रार्थीया के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 03 भूमिधारी तहसीलदार, गढ़ी ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया कि "प्रार्थी बसन्ती पत्नि मोतीलाल लबाना निवासी भमसौर के प.ह. खेड़ा के खाता संख्या 301 के आराज़ी नम्बर 2818 रकबा 0.27 हे0 हाल जमाबन्दी अनुसार खातेदार दर्ज रिकार्ड है। मौके पर प्रार्थी द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है। प्रार्थी के आराज़ी नम्बर 2818 से लगती हुंई भूमि आराजी नम्बर 3290 में अप्रार्थीगण कन्हैयालाल पिता गौतम व संगीता पत्नि कन्हैयालाल जाति भील निवासी खेड़ा को वर्ष 2008 में आराजी नम्बर 3290 में से आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 भूमि का आवंटन हुआ। प्रार्थी के सर्वे नम्बर 2818 से दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थी को आवंटित भूमि आराजी नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 की हाल लठ्ठा नक्शें में तरमीम गलत है जिसका ट्रेय नक्शा संलग्न है। मौके अनुसार नवीन प्रस्तावित तरमीम का ट्रेस नक्शा संलग्न है। प्रार्थी व अप्रार्थी मौका अनुसार तरमीम के लिए सहमत होना" अवगत कराया जाकर हाल मौके अनुसार नक्शें में तरमीम की अनुशंसा की गई।

अतः प्रार्थीया की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, संलग्न अभिलेख तथा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एंव भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार सर्वे नम्बर 2818 से दक्षिण दिशा की ओर अप्रार्थी को आवंटित सर्वे नम्बर 5463/3290 की गलत तरमीम के क्रम में वर्तमान/नवीन प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का अवलोकन किया जाकर भूमिधारी तहसीलदार गढ़ी के द्वारा प्रस्तुत नवीन प्रस्तावित नक्षा ट्रेस अनुसार पटवार हल्का खेड़ा के मौजा खेड़ा के सर्वे नम्बर 5463/3290 रकबा 0.24 हे0 भूमि की तरमीम करने का आदेश दिया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.2024 को जारी किया गया।

(अन्जु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी

उपखण्ड अधिकारी
गढ़ी, जिला बांसवाड़ा

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:39:58 IST
Reason: SelfAttested

25.7.24	पत्रावली आज पेश हुई। वादी प्रतिप्रार्थक अनुपस्थित। प्रकरण में पृथक से निर्णय जारी किया गया। पत्रावली बाद शामिल पत्रावली दाखिल दफ्तर हो। फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी गढ़ी, जिला बांसवाड़ा	T.D.R की रिपोर्ट से सहमत वकील प्रार्थी

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2024.07.26 15:39:58 IST
Reason: SelfAttested